

27.7.18

काद की समय सीमा समाप्त।
किसी प्रकार के अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। अतः काद की कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतिरिक्त निष्पादन हेतु अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत भेजे।

27.7.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

28.7.18

अभिलेख उपस्थापित।
काद की कार्यवाही थाना प्रभारी रंका से प्राप्त प्रमाणपत्र/आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई थी। काद की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने एवं किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना भी प्राप्त नहीं होने के कारण काद की कार्यवाही गथास्थिति समाप्त की जाती है।

सदस्य- 1
लो0अ0, गढ़वा

सदस्य- 2
लो0अ0, गढ़वा

सदस्य- 3
लो0अ0, गढ़वा

